

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

दिनांक: 14.06.2025

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी और जो 13 फरवरी, 1986 से प्रभावी हुआ। एपीडा भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास से संबंधित कार्य में संलग्न शीर्ष संगठन है जो एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत अनुसूची का एक भाग है।

एपीडा निम्नलिखित पदों पर भर्ती करने का इच्छुक है:

क्र.सं. एवं पद का नाम	आयु सीमा	ग्रुप एवं वेतन लेवल	पदों की सं. और आरक्षित पद**	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव
(1) सहायक महाप्रबंधक (कृषि)	35 वर्ष	ग्रुप ए, वेतन लेवल 10 (रु. 56100-177500)	8* (5 अनारक्षित, 1 अनु.जा. और 2 अ.पि.व.)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/बागवानी/वृक्षारोपण/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं सहकारिता/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात उपरोक्त क्षेत्रों में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: उपरोक्त क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोधपत्रों का प्रकाशन।
(2) सहायक महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन)	35 वर्ष	ग्रुप ए, वेतन लेवल 10 (रु. 56100-177500)	2* (2 अनारक्षित)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान या कृषि अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता के साथ विदेशी व्यापार/अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/कृषि व्यवसाय प्रबंधन/बागवानी व्यवसाय प्रबंधन/कृषि विपणन/बागवानी विपणन/कृषि विज्ञान/कृषि अर्थशास्त्र/कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात उपरोक्त क्षेत्रों में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: उपरोक्त क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोधपत्रों का प्रकाशन।
(3) सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	35 वर्ष	ग्रुप ए, वेतन लेवल 10 (रु. 56100-177500)	1* (अनारक्षित)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त/वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/एमबीए (वित्त) या आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंसी पूरी की हो (ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात उपरोक्त क्षेत्रों में पांच वर्ष का अनुभव।
(4) सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	35 वर्ष	ग्रुप ए, वेतन लेवल 10 (रु. 56100-177500)	1* (अनारक्षित)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात उपरोक्त क्षेत्रों में पांच वर्ष का अनुभव।

नोट (उपयुक्त क्रम सं. 1 से 4 तक पदों के लिए):
(1) योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं पर छूट दी जा सकती हैं।
(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न होने की संभावना पर अनुभव से संबंधित योग्यता पर सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती हैं,

(5) सहायक प्रबंधक (कृषि)	30 वर्ष	ग्रुप बी, वेतन लेवल 6 (रु. 35400-112400)	1* (ईडब्ल्यूएस)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/बागवानी/वृक्षारोपण/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं सहकारिता/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।
(6) सहायक प्रबंधक	30 वर्ष	ग्रुप बी, वेतन लेवल 6 (रु. 35400-112400)	4* (3 अनारक्षित एवं 1 अ.पि.व.)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/बागवानी/वृक्षारोपण/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं सहकारिता/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक/अंडर-ग्रेजुएट डिग्री।
(7) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	30 वर्ष	ग्रुप बी, वेतन लेवल 6 (रु. 35400-112400)	एक* (अनारक्षित)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर्स डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री जिसमें हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर्स डिग्री जिसमें हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर्स डिग्री जिसमें अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर्स डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो। और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।

*सक्षम प्राधिकारी पदों/रिक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखते हैं

**क्र. सं. 1 – सहायक महाप्रबंधक (कृषि) में एक पद तथा क्र.सं. 5 – सहायक प्रबंधक (कृषि) में एक पद 'निम्न दृष्टि' श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। सक्षम प्राधिकारी डीओपीटी के ओ.एम. नं. 36035/02/2017-स्था. (आरक्षण) दिनांक 15.01.2018 में दिए गए आरक्षित पद के अधीन बेंचमार्क दिव्यांगजनों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समूह के अन्य पदों से रिक्तियों को भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

टिप्पणियाँ: पदों की पहचान निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है:

(i) क्रम सं. 1 से 6 के लिए: सहायक महाप्रबंधक (कृषि)/सहायक महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन)/सहायक महाप्रबंधक (वित्त)/सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)/सहायक प्रबंधक (कृषि)/सहायक प्रबंधक:

- क) एलवी

ख) डी, एचएच

ग) ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी और एसआई बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार के

घ) एसएलडी, एमआई

ड) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हों
- (ii) क्रम सं. 7 के लिए: कनिष्ठ हिंदी अनुवादक:

क) एलवी

ख) डी, एचएच

ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई, एसडी और एसआई बिना किसी सम्बद्ध न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार के

घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई

ड) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हों

इसलिए, उपर्युक्त बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्ताक्षर: एलवी=कम दृष्टि, डी=बहरापन, एचएच=सुनने में कठिनाई, ओए=एक भुजा, ओएल=एक टांग, बीएल=दोनों टांग, ओएएल=एक भुजा और एक टांग, सीपी=मस्तिष्क पक्षाघात, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक होना, डीडब्ल्यू=बौनापन, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई=मांसपेशियों की दुर्बलता, एसडी=रीढ़ की हड्डी में विकृति, एसआई=रीढ़ की हड्डी में चोट, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, एसएलडी=विशिष्ट लर्निंग दिव्यांगता, एमआई=मानसिक विकार, एमडी=एकाधिक दिव्यांगता।

सामान्य शर्तें:

1. उम्मीदवार को केवल एपीडा वेबसाइट (<https://apeda.gov.in/recruitment-appointment>) पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।

2. उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में आवश्यकतानुसार दस्तावेज / प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।

3. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले आवश्यक योग्यता / अनुभव पूरा किया होना चाहिए।

4. केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

5. आवेदन शुल्क:

(1) सहायक महाप्रबंधक (कृषि) / सहायक महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन) / सहायक महाप्रबंधक (वित्त) / सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पदों के लिए: रु. 500 /— (केवल पाँच सौ रुपए)।

(2) सहायक प्रबंधक (कृषि) / सहायक प्रबंधक / कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों के लिए: रु. 300 /— (केवल तीन सौ रुपए)

सभी उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा (महिला / एससी / एसटी / बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है)।

6. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए लिंक के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। शुल्क का भुगतान एकमुश्त किया जाना चाहिए। शुल्क का आंशिक भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एपीडा के पास जमा हो गया है। यदि शुल्क एपीडा को प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाएगी और यह जानकारी आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित की जाती है। इसके अलावा, उम्मीदवार द्वारा लॉगिन स्क्रीन में दिए गए 'भुगतान स्थिति' लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जाँच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय** के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे वर्तमान या भविष्य के किसी अन्य चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10. आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार उपलब्ध है:
- | क्र.सं. | निम्न श्रेणी के उम्मीदवार | ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है |
|---------|--|--|
| 1 | अनु.जा. / अनु.ज.जा. | 5 वर्ष |
| 2 | अ.पि.व. | 3 वर्ष |
| 3 | पीडब्ल्यूडी | 10 वर्ष |
| 4 | भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) | अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की कटौती के पश्चात 3 वर्ष |
| 5 | किसी बाहरी देश के साथ शत्रुता के दौरान या अशांत क्षेत्र में ऑपरेशन में अक्षम हुए और उसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त रक्षा कार्मिक | 3 वर्ष |
| 6 | एपीडा में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि कम से कम तीन वर्ष हो | 5 वर्ष |
- नोट:
- (i) अनु.जा. या अनु.ज.जा. या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित किसी अन्य खंड के अंतर्गत आते हैं वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत संचयी आयु—छूट के लिए पात्र होंगे।

(ii) भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय—समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। आयु में छूट भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य होगी अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर—लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो और जो या तो अपने अनुरोध पर या पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हुआ हो।

11. चयन प्रक्रिया:

(1) सहायक महाप्रबंधक (कृषि) / सहायक महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन) / सहायक महाप्रबंधक (वित्त) / सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पदों के लिए:
चयन 100 अंकों के एक पेपर वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसके बाद सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार (40 अंक) होगा।

(क) लिखित परीक्षा: लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न योजना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	खंड	प्रश्नों की सं.	अंक
	वस्तुनिष्ठ प्रकार		
1	सामान्य प्रबंधन, प्रबंधकीय क्षमता	10	10
2	तार्किक तर्क, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक क्षमता	10	10
3	आईटी से संबंधित, बुनियादी कंप्यूटर जागरूकता	10	10
4	समसामायिक घटनाक्रम	10	10
5	सामान्य अर्थशास्त्र	05	05
6	अंग्रेजी व्याकरण	05	05
	वर्णनात्मक प्रकार संबंधित विषयों से		
	• एजीएम (कृषि) के लिए: निम्नलिखित समूहों में प्रश्न पूछे जाएंगे:— <u>समूह 1</u> (3 प्रश्न) कृषि / बागवानी / वृक्षारोपण / कृषि अभियांत्रिकी / कृषि एवं सहकारिता से <u>समूह 2</u> (3 प्रश्न) पशु चिकित्सा विज्ञान से <u>समूह 3</u> (3 प्रश्न) डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी से <u>समूह 4</u> (3 प्रश्न) खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य विज्ञान / खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नोट: उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए इनमें से किसी एक समूह को चुनना होगा। एक बार उम्मीदवार जिस समूह में परीक्षा देना चाहते हैं उसे चुन लेने के बाद उस पर बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।	03	50

Size 25x38

	• एजीएम (व्यापार संवर्धन) के लिए: निम्नलिखित समूहों में प्रश्न पूछे जाएंगे:— <u>समूह 1</u> (3 प्रश्न) विदेश व्यापार/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से <u>समूह 2</u> (3 प्रश्न) कृषि व्यवसाय प्रबंधन/बागवानी व्यवसाय प्रबंधन से <u>समूह 3</u> (3 प्रश्न) कृषि विपणन/बागवानी विपणन से <u>समूह 4</u> (3 प्रश्न) कृषि विज्ञान/कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विज्ञान या कृषि अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता के साथ कृषि से नोट: उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए इनमें से किसी एक समूह को चुनना होगा। एक बार उम्मीदवार जिस समूह में परीक्षा देना चाहते हैं उसे चुन लेने के बाद उस पर बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। • एजीएम (वित्त) के लिए: 03 प्रश्न • एजीएम (सूचना प्रौद्योगिकी) के लिए: 03 प्रश्न		
--	--	--	--

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में चार उत्तर विकल्प होंगे और यह एक अंक होगा।
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग होगी।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी
- उत्तरों को पेन द्वारा ओएमआर उत्तर शीट पर अंकित किया जाएगा। कोई पुस्तक/सामग्री की अनुमति नहीं होगी।
- वर्णनात्मक के उत्तर वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिका पर दिए जाने चाहिए।

(ख) साक्षात्कार:

	साक्षात्कार के लिए व्यापक विषय हैं: क. देश में कृषि क्षेत्र के बारे में सामान्य आईक्यू/सामान्य जागरूकता जिसमें सरकारी विभागों (केंद्र/राज्य)/उनकी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के कामकाज और विभिन्न स्तरों पर घोषित और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ज्ञान शामिल है। ख. कृषि उत्पादन और निर्यात की समझ — देश में समग्र कृषि उत्पादन और राज्य विशेष जानकारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के प्रचार और विकास में एपीडा और राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भूमिका और कार्यप्रणाली। एनपीओपी/एपीडा अधिनियम/ट्रेस नेट्स/आरसीएमसी/सीओई आदि के तहत एनपीओपी/प्रमाणन। ग. प्रबंधकीय क्षमता घ. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रक्रिया के बारे में समझ — डब्ल्यूटीओ/टैरिफ संरचना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की प्रैक्टिस, मार्केट इंटेलीजेंस, कृषि—व्यवसाय और बाजार पहुंच में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के बारे में। यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय केवल सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। साक्षात्कार बोर्ड को अन्य विषयों पर प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है जो प्रासंगिक पाए जाते हैं।	40 अंक
--	--	--------

- साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत होंगे।
- साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत होंगे।
- प्रत्येक श्रेणी में मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(2) सहायक प्रबंधक (कृषि) और सहायक प्रबंधक के पद के लिए:

चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसमें 2) घंटे की अवधि के 100 अंकों का एक पेपर होगा जो निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	खंड	पैटर्न	प्रश्नों की सं.	अंक
1	सामान्य जागरूकता जिसमें समसामयिक मामले, अंग्रेजी, तर्कशक्ति शामिल है	वस्तुनिष्ठ	20	20
2	एपीडा/कृषि निर्यात से संबंधित	वस्तुनिष्ठ	30	30
3	डिग्री स्तर पर संबंधित विषयों से प्रश्न	वस्तुनिष्ठ	30	30
4	निबंध लेखन और सार लेखन	वर्णनात्मक	2	20
	• प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में चार उत्तर विकल्प होंगे तथा यह एक अंक होगा। • प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग होगी। • उत्तरों को ओएमआर उत्तर शीट तथा वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिका पर पैन से अंकित किया जाएगा। • कोई पुस्तक/सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी।			

उम्मीदवारों की शॉर्ट—लिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत होंगे।

(3) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए:

चयन तीन घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा — जिसका विवरण निम्नानुसार है::

क्र.सं.	खंड	पैटर्न	प्रश्नों की सं.	अंक
1	सामान्य अंग्रेजी	वस्तुनिष्ठ	15	15
2	सामान्य हिंदी	वस्तुनिष्ठ	15	15
3	सामान्य ज्ञान जिसमें समसामयिक मामले भी शामिल हैं	वस्तुनिष्ठ	20	20
4	अंग्रेजी से हिंदी भाषा में एक गद्यांश (लगभग 250—300 शब्द) का अनुवाद	वर्णनात्मक	01	50
5	हिंदी भाषा से अंग्रेजी में एक गद्यांश (लगभग 250—300 शब्द) का अनुवाद	वर्णनात्मक	01	50
	कुल समय = वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा दोनों के लिए 180 मिनट कुल अंक = 150			
परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी। उत्तरों को पेन से ओएमआर उत्तर शीट और वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिका पर अंकित किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग होगी।				

उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत होंगे।

सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का माध्यम:

पेपर द्विभाषी होगा अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में। उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में पेपर लिखना चुन सकता है।

13. लिखित परीक्षा दिल्ली एनसीआर के केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

14. चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारी अनंतिम है। केवल आवेदन जमा करने या पद पर चयन से उम्मीदवार/आवेदक को पद पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पद पर चयन के मामले में उम्मीदवार को निर्धारित सभी योग्यताएं (शैक्षणिक और अनुभव) और ऊपर बताए गए अन्य मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। गलत घोषणा/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्य किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को रद्द कर देगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि लिखित परीक्षा में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम है बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार को ई—एडमिट कार्ड जारी करने और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का मतलब यह नहीं होगा कि प्राधिकरण द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम रूप से विचार किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन लिखित परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. वे उम्मीदवार जो सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत हैं उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र अपलोड करना चाहिए।

17. पद के लिए आवेदक की आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट सरकारी नियमों/आदेशों के अनुसार होगी।

18. वे उम्मीदवार जो आयु में छूट और/या शुल्क भुगतान से छूट चाहते हैं (शुल्क भुगतान के लिए महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर) उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण—पत्र अपलोड करना होगा। अन्यथा, आयु में छूट या शुल्क भुगतान से छूट के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण—पत्र अपलोड करना होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण—पत्र होने पर उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कर ली जाती है।

19. भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 के अनुसार शासित होगी।

20. लिखित परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि एपीडा में सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक माना जा सकता है कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी मामलों में उपयुक्त है।

21. नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात् इन सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा देयता (एआईएसएल) है।

22. एपीडा किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखता है।

23. इस संबंध में अद्यतन/नवीनतम जानकारी के लिए कृपया एपीडा की वेबसाइट और ऊपर दिए गए लिंक को देखें।

सावधान:- किसी भी तरह से पक्ष प्रचार करने पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित की जा सकती है और उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट: उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से तीन माहों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ का आकार लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ में आवेदक का चेहरा बिना किसी धुंधलेपन के स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और वह टोपी और चश्मे के बिना होना चाहिए। फोटोग्राफ में पूरा चेहरा, सामने का दृश्य और खुली आँखें होनी चाहिए। सिर फ्रेम के केंद्र में होना चाहिए। चेहरे या पृष्ठभूमि पर कोई विचलित करने वाली छाया नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कारणों को छोड़कर सिर को ढकने की अनुमति नहीं है, लेकिन टोड़ी के नीचे से माथे के ऊपर और चेहरे के दोनों किनारों तक चेहरे की विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। चेहरे पर भाव स्वाभाविक दिखना चाहिए।

यदि किसी उम्मीदवार द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 14.07.2025 (23:59 बजे) है।